(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3070–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–7–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 124/15–16/अपील.

1– बाबू सिंह पुत्र कल्लू सिंह
2– जितेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह
निवासीगण ग्राम सरखोह
तहसील व जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– हुकम सिंह पुत्र सनमान सिंह
2– लालाराम पुत्र माधौसिंह
निवासीगण ग्राम नोहर
तहसील व जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री नवीन भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–7–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, गुना के समक्ष संहिता की धारा 131 एवं 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नोहर स्थित उनके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 62/1क एवं 62/1ख, 62/1क/1, 62/3, 59/2कखग है, और उक्त भूमियों की सिंचाई अनावेदकगण के स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 45/3 तथा 52/1 जिसमें ट्यूबवैल लगा है, से

विगत 20 वर्षों से भूमिगत पाईप लाईन से करते चले आ रहे हैं । उक्त पाईप लाईन 20 वर्ष पुरानी होने से क्षतिग्रस्त पाईप लाईन की मरम्मत किये जाने में आवेदकगण द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है । अतः पूर्व में डाली गई पाईप लाईन की सुधार, और सिंचाई सुविधा जारी रखने की मांग की गई । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2012–13 दर्ज कर दिनांक 9–11–15 को आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि के मध्य के मेड़ के ऊपर से सिंचाई सुविधा हेतु पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान की गई। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–12–15 को आदेश पारित कर अपील आंशिक स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–7–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह मौके पर नक्शा के अनुसार मेड पूरी है या नहीं, सुश्चित करते हुए अपने आदेश का पालन करावें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की एकमात्र भूमिस्वामी स्वत्व की निजी भूमियों पर पाईप लाईन डालने के आदेश दिये गये हैं, जो विधि विपरीत्त है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, और संहिता की धारा 131 के अंतर्गत निजी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि में बिना रूढ़ि के रास्ता नहीं दिया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण सहित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, और न ही उनके कथन लिये गये हैं । आधार पर कहा गया कि तहसीलदार द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई पंचनामा नहीं है, और न ही प्रतिवेदन में पुरानी पाईप लाईन होने की किसी रूढ़ि का उल्लेख है, किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वविवेक का उपयोग किये बिना मनमाना एवं लापरवाही से आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, और तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत के अभिमत एवं हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि अनावेदकगण द्वारा आपत्तिकर्ता/आवेदकगण से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, क्योंकि अनावेदकगण स्वयं से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बाध्य है न कि विपक्ष के व्यक्तियों के लिए । अतः स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 8667/2016 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2017 एवं आदेश में पालन में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17–1–2017 की छायाप्रति प्रस्तुत हुए उल्लेख किया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–7–2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है, किन्तु तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया गया है एवं कलेक्टर के समक्ष तहसीलदार द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, और उक्त आदेश का अमल कलेक्टर द्वारा भी नहीं कराया गया है । अतः अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका कमांक 8667/2016 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–1–2017 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25–7–2016 का 15 दिवस में पालन करने के निर्देश दिये गये हैं, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को दिनांक 31–1–2017 को स्थल पर जाकर आदेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्य में आवश्यक पुलिस बल संबंधित थान से प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को भी लिखा जा रहा है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में मुख्यतः विचारणीय बिन्दु यह है कि पाईप लाईन मेढ़ पर से डाली जाये या मेढ़ के नीचे से अथवा मेढ़ पर ही जमीन के अन्दर डाली जाये।

वास्तव में यह प्रशासनिक मुद्दा है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10–1–2017 को आदेश पारित कर कलेक्टर को रिप्रिजन्टेशन डिसाईड करने के निर्देश दिये गये हैं । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से समस्त आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण में यथोचित निर्णय ले ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर